

जनपद पिथौरागढ़ के विकासखंड मूनाकोट के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् बालक—बालिकाओं में प्रवेश दर का लिंग के आधार पर तुलनात्मक अध्ययन।

Dr. Digar Singh Farswan

HOD B.Ed. Department Devbhumi Institute of Professional Education, Lalpur, Rudrapur

सारांश— प्रस्तुत अध्ययन में जनपद पिथौरागढ़ के सीमान्त विकासखंड मूनाकोट के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् बालक—बालिकाओं में प्रवेश दर का लिंग के आधार पर तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् कुल विद्यार्थियों का अध्ययन हेतु चयन किया गया है। विद्यालयों में प्रवेश का अर्थ बालक—बालिका का निर्धारित आयु में निर्धारित कक्षा में नामांकित होकर निरन्तर कक्षा उत्तीर्ण करने से होता है, जिससे बच्चे निर्धारित समय में प्राथमिक शिक्षा चक्र को पार कर सकें। तुलनात्मक अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् बालक—बालिकाओं में प्रवेश दर में लिंग के आधार पर कोई सार्थक अन्तर नहीं होता है। शिक्षा के सार्वभौमिकरण को दृष्टिगत् रखते हुए सरकार तथा शिक्षा विभाग द्वारा निरन्तर बुनियादी तथा प्राथमिक शिक्षा तक सबकी पहुँच तथा गुणवत्तायुक्त शिक्षा देने की पहल की जा रही है, जिससे बच्चों के भविष्य का ठोस आधार विकसित हो सकें। परन्तु कई कारणों से जैसे माता—पिता की निरक्षरता, बेरोजगारी, आर्थिक तंगी, विषम भौगोलिक परिस्थितियों तथा समुचित व्यवस्थाओं का अभाव होने से आज भी बुनियादी शिक्षा में कक्षा प्रवेश सम्बन्धी समस्यायें व्याप्त हैं जिनके समाधान किए बिना तथा गुणवत्तापरक बुनियादी शिक्षा प्रदान किए बिना राष्ट्र तथा समाज के भविष्य का ठोस आधार विकसित करना संभव नहीं होगा।

शब्द कुंजी: प्रवेश दर, तुलनात्मक अध्ययन, विद्यालय पलायन, अपव्यय, अवरोधन, गुणवत्तापरक शिक्षा।

प्रस्तावना— शिक्षा मनुष्य के विकास का मूल साधन होती है। किसी भी प्रकार के विकास एवं उन्नति के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण साधन है। शिक्षा के अभाव में कुछ भी हॉसिल किया जाना संभव नहीं है। शिक्षा के द्वारा लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाया जा सकता है। शिक्षा की सहायता से ही लोगों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने हेतु क्षमताओं का निर्माण कर तथा बेहतर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शिक्षा के स्तर में वृद्धि से उच्च उत्पादकता बढ़ती है तथा अवसरों के सृजन से स्वास्थ्य में सुधार, सामाजिक विकास और उचित निष्पक्षता को प्रोत्साहन मिलता है। शिक्षा के द्वारा बच्चों में विवेक शक्ति का विकास होता है, जिससे उनमें अपने बल पर निर्णय लेने तथा चिन्तन व विचार करने हेतु सामर्थ्य का विकास होता है। प्रारम्भिक शिक्षा में अपव्यय एवं अवरोधन एक भीषण समस्या है। इस समस्या के प्रति 1929 में हर्टांग समिति ने ध्यान आकृष्ट किया था। समिति ने कहा कि यद्यपि प्राथमिक विद्यालयों तथा बच्चों की संख्या में वृद्धि हुई है पर इसका अभिप्राय यह नहीं है कि प्राथमिक शिक्षा में प्रगति हो रही है आज भी कितने ही अभिभावक ऐसे हैं जो कठिन परिस्थितियों के शिकंजे में फंसे होने के कारण अपने बच्चों को प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम पूर्ण करने से पूर्व ही विद्यालयों से पृथक कर लेते हैं। भारत में औपचारिक शिक्षा के साथ अनौपचारिक शिक्षा का भी महत्व कम नहीं रहा है क्योंकि इसके माध्यम से 6 से 14 आयु वर्ग के शालात्यागी तथा कतिपय कारणों से निरक्षर रह गये बालक—बालिकाओं को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया गया है (गुप्ता, 1983, तोमर, 1991, मिश्र, 1998)। शिक्षा में पलायन की समस्या का अध्ययन करने के पश्चात यह पाया कि हाईस्कूल स्तर पर पलायनवादी व्यवहार के लिए विभिन्न सामाजिक मनोवैज्ञानिक और आर्थिक कारक संयुक्त रूप से जिम्मेदार थे। हमारी अनार्कर्षक शिक्षा व्यवस्था भी हाईस्कूल स्तर पर पलायन के लिए जिम्मेदार थी (नयाल 1985)।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) में ‘सभी के लिए शिक्षा’ की पुनरावृत्ति की गयी थी। इसमें जाति, धर्म, वर्ग, क्षेत्र तथा गरीबी—अमीरी के भेदभाव के बिना सभी बच्चों को क्षमता और समानता के सिद्धान्त पर आधारित शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने का संकल्प लिया गया था। वर्तमान समय में हमारे देश में प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना एक चुनौती है। जब तक प्राथमिक शिक्षा में गुणवत्ता में सुधार नहीं होगा तब तक बच्चे उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर नहीं हो सकते हैं। प्राथमिक शिक्षा सभी प्रकार के शिक्षा की आधारशिला होती है। बच्चे को बचपन में जिस स्तर का आधार मिलेगा उसका आगे का विकास भी उसी स्तर का होगा। सीमान्त व पर्वतीय क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थितियां कठिन होती हैं। शिक्षा की अनुपलब्धता तथा आवागमन के साधनों का पर्याप्त विकास न होने से भी शिक्षा के विकास में प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। शिक्षा में गुणवत्ता का अर्थ है मानक स्तर की शिक्षा विद्यार्थी अपनी आयु एवं कक्षा के अनुसार शिक्षा के न्यूनतम अधिगम स्तर को प्राप्त करें यह समाज की मौंग होती है (रैकवार, 2000)। 21वीं सदी में हमारे देश की प्राथमिक शिक्षा नीतिगत बदलाव के दौर से गुजर रही है। इस नीतिगत बदलाव को आगे बढ़ाने के लिए कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इनके कायक्रमों को सफल बनाने हेतु विभिन्न प्रकार की रणनीतियों का सहारा लिया जा रहा है। प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण तथा गुणवत्ता में सुधार हेतु विद्यालयों में भयमुक्त वातावरण के निर्माण का प्रयास किया जा रहा है। बच्चों की शिक्षा को प्रभावी तथा रुचिकर बनाने हेतु स्कूल और समुदाय के बीच संवाद शुरू करने हेतु विद्यालय प्रबन्ध समिति को सक्रिय बनाने तथा बच्चों के माता—पिता और अभिभावकों को निरन्तर विद्यालय में बुलाने और बच्चों की शैक्षिक प्रगति से उनको अवगत कराने का प्रयास किया जा रहा है। प्राथमिक शिक्षा को नागरिकों का मौलिक अधिकार माना गया है। इस बात को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के दायरे में लाने हेतु सरकारी व गैरसरकारी संगठनों की तरफ से निरन्तर प्रयास किए जा रहे हैं। जिससे सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान किया जा सके। सीमान्त व सुदूर क्षेत्रों में कई स्कूल एकल अध्यापक के सहारे चल रहे हैं। जिससे इन स्कूलों में बच्चों की संख्या घटते जा रही है। शिक्षा के क्षेत्र में सुधार की दीर्घकालीन रणनीति में छात्र—शिक्षक अनुपात को बेहतर व संतुलित बनाने की दिशा में सरकारी प्रयासों को गतिशील बनाने की आवश्यकता है। इन प्रयासों के अभाव में तमाम रणनीति और कार्यक्रम सफल नहीं हो सकते हैं। कुछ महिनों पहले देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अपने एक उद्बोधन मन की बात में शिक्षा की गुणवत्ता के महत्व पर जोर देते हुए कहा था—“अब तक सरकार का ध्यान देश भर में शिक्षा के प्रसार पर था किन्तु अब वक्त आ गया है कि ध्यान शिक्षा की गुणवत्ता पर दिया जाए। अब सरकार को स्कूलिंग की बजाय ज्ञान पर अधिक ध्यान देना चाहिए।” मानव संशाधन विकास मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी घोषणा की थी कि—“देश में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार सर्वोच्च प्राथमिकता होगी।” भारत सरकार कार्यान्वित एवं राज्य सरकारों की साझेदारी के साथ सर्व शिक्षा अभियान (SSA) ने प्राथमिक शिक्षा को सर्वव्यापी बनाने में यथोष्ट सफलता पाई है। आज देश के 14.5 लाख प्राथमिक विद्यालयों में 19.67 करोड़ बच्चे अध्ययनरत हैं। स्कूली शिक्षा में विद्यालय पलायन की दर में अवश्य कमी आई है, परन्तु यह अब भी प्राथमिक स्तर पर 16 प्रतिशत तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर 32 प्रतिशत बनी हुई है जिसमें उल्लेखनीय कमी करना आवश्यक है। प्राथमिक शिक्षा में ड्राप आउट एक अहम चुनौती है। यह भी आवश्यक है कि बच्चों की शिक्षा निरन्तरता के साथ बहाली रखी जा सके। वे प्रवेश के बाद बीच में स्कूल न छोड़। इस मामले में पॉचवी कक्षा और पहली कक्षा के बच्चों का अनुपात एक अहम सूचकांक है। ड्राप आउट से प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय एवं अवरोधन में वृद्धि होती है। आजादी के 70वें वर्ष में भी हमारे देश में स्कूली शिक्षा को पटरी पर नहीं लाया जा सका है जो कि एक बेहद सोचनीय स्थिति है। इसके लिए अभी भी बहुत कुछ करना शेष है। 1986 की शिक्षा नीति हमारे देश में शिक्षा की मार्गदर्शक है। इस नीति की समीक्षा करके 1992 में इसे अपना लिया गया और आज भी यही लागू है। भारत के आर्थिक—सामाजिक परिप्रेक्ष्य में इन 25 वर्षों में प्रत्येक क्षेत्र में व्यापक बदलाव आया है। वर्तमान समय में इसी बदलाव तथा वर्तमान परिप्रेक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए एक नई शिक्षा नीति की आवश्यकता है। प्राथमिक शिक्षा के सन्दर्भ में संविधान की 45वीं धारा में स्पष्ट निर्देश है—“राज्य इस संविधान के लागू होने के समय से दस वर्ष के अन्दर 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों की अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करेगा।” तभी से हमारे देश में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क करने की ओर ठोस कदम उठाए गए। इन कायक्रमों का उद्देश्य 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क, अनिवार्य व गुणवत्ताप्रक शिक्षा प्रदान कर प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना है। यह बात अलग है कि उस लक्ष्य को हम 10 वर्षों के अन्दर तो क्या आज तक भी प्राप्त नहीं कर सकें हैं। इस लक्ष्य की प्राप्ति में अनेक बाधाएं रही हैं जिसमें मुख्य हैं— सामाजिक पिछड़ापन, धनाभाव, माता—पिता

की निरक्षरता, जागरूकता का अभाव, विषम भौगोलिक परिस्थितियाँ, बढ़ती हुई जनसंख्या और ईमानदारी एवं कर्तव्यनिष्ठा की कमी।

उत्तराखण्ड सभी के लिए शिक्षा परिषद, डी०पी०ई०पी० III (2006) के अनुसार विद्यालय में कोहोर्ट (Cohort) का निर्माण, विश्लेषण एवं उसके प्रदर्शन से उस विद्यालय की शिक्षा की गुणवत्ता की परख आसानी से की जा सकती है। परिषद द्वारा संचालित कार्यक्रमों का उद्देश्य शिक्षा हेतु सुविधाएं प्रदान करना ही नहीं है, बल्कि गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान कर विद्यार्थियों के अधिगम उपलब्धि स्तर को सुधारना भी है। शैक्षिक गुणवत्ता को किस प्रकार पाया जाय इस हेतु कोहोर्ट एक अत्यन्त महत्वपूर्ण टूल (उपकरण) है।

पूर्व अध्ययन समीक्षा- पूर्ववर्ती अध्ययन से तात्पर्य अनुसंधान की समस्या से सम्बन्धित उन सभी प्रकार की पुस्तकों, ज्ञान कोषों, पत्र-पत्रिकाओं, शोध पत्रों तथा अभिलेखों आदि से है, जिनके अध्ययन से अनुसंधानकर्ता को अपनी समस्या के चयन, परिकल्पनाओं के निर्माण, अध्ययन की रूपरेखा तैयार करने तथा कार्य को आगे बढ़ाने में सहायता मिलती है। इनमें से मुख्य रूप से वर्धा शिक्षा योजना (1937), (गुप्ता, 1983, तोमर, 1991, मिश्र, 1998) नयाल (1985), राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986), रैकवार (2000), डी० पी० ई० पी० III (2006) ने शोध विषय से सम्बन्धित कार्य किये हैं।

अध्ययन का उद्देश्य- प्रस्तुत अध्ययन हेतु निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किया गया है—

जनपद पिथौरागढ़ के सीमान्त विकासखण्ड मूनाकोट के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् बालक-बालिकाओं में प्रवेश दर का लिंग के आधार पर तुलनात्मक अध्ययन करना।

परिकल्पना- शोध कार्य की मुख्य परिकल्पना निम्न है:—

विकासखण्ड मूनाकोट के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् बालक-बालिकाओं में प्रवेश दर में लिंग के आधार पर कोई सार्थक अन्तर नहीं होता है।

अध्ययन विधि- प्रस्तुत शोध अध्ययन तुलनात्मक अध्ययन है जिसके लिए वर्णनात्मक सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है।

न्यादर्श- प्रस्तुत शोध अध्ययन के लिए उत्तराखण्ड के जनपद पिथौरागढ़ के सीमान्त विकासखण्ड मूनाकोट का चयन किया गया है। मूनाकोट के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् कक्षा 1 से 5 तक के सभी बच्चों तथा सेवित क्षेत्र में रहने वाले 6 से 10 आयु वर्ग के बच्चों का अध्ययन के लिए चयन किया गया है।

उपकरण तथा तकनीकें- प्रस्तुत शोध कार्य में न्यादर्श समूहों के प्राप्तांक प्रतिशत के आधार पर t मान की सहायता से मध्यमान अन्तर की सार्थकता का आंकलन किया गया है। इसके अलावा 0.01 एवं 0.05 स्तर पर सार्थकता स्तर का अध्ययन किया गया है।

't' परीक्षण के लिए निम्न सूत्र का प्रयोग किया गया—

$$t = \frac{M_1 - M_2}{SED}$$

M_1 = पहले न्यादर्श समूह का मध्यमान

M_2 = दूसरे न्यादर्श समूह का मध्यमान

SED = मध्यमानों के अन्तर की मानक त्रुटि

$$SED = \sqrt{PQ \left[\frac{1}{N_1} + \frac{1}{N_2} \right]}$$

$$P = \frac{N1P1 + N2P2}{N1 + P1}$$

प्रदत्त विश्लेषण एवं व्याख्या – जनपद पिथौरागढ़ के विकासखंड मूनाकोट के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 1 से 5 तक अध्ययनरत् बालक-बालिकाओं में कक्षा प्रवेश का लिंग के आधार पर सार्थक अन्तर ज्ञात करने हेतु प्रवेश दर की तुलना एवं सार्थकता की जॉच t टेस्ट के द्वारा की गयी है।

तालिका संख्या-1 में जनपद पिथौरागढ़ के विकासखंड मूनाकोट के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 1 से 5 तक अध्ययनरत् कुल बच्चों, कक्षावार कक्षा प्रवेश लेने वाले बच्चों, कक्षावार प्रवेश से वंचित बच्चों तथा कुल प्रवेश दर का विवरण दर्शाया गया है। तालिका में प्रस्तुत प्रदत्तों का अवलोकन करने पर स्पष्ट होता है कि कक्षा 1 का प्रवेश दर 99.16 प्रतिशत था। 6 वय वर्ग के कुल 1074 बच्चों में से 1065 बच्चे कक्षा 1 में नामांकित थे तथा 09 बच्चे अपनी नियत कक्षा 1 में प्रवेश पाने से वंचित रह गये। कक्षा 2 का प्रवेश दर 99.10 प्रतिशत था। 7 वय वर्ग के कुल 1010 बच्चों में से 09 बच्चे अपनी नियत कक्षा 2 में प्रवेश पाने से वंचित रह गये। कक्षा 3 का प्रवेश दर 100.0 प्रतिशत था। 8 वय वर्ग के कुल 963 बच्चों में से सभी बच्चे अपनी नियत कक्षा 3 में प्रवेश पाने में सफल रहे। कक्षा 4 का प्रवेश दर 99.88 प्रतिशत था। 9 वय वर्ग के कुल 892 बच्चों में से 01 बच्चा अपनी नियत कक्षा 4 में प्रवेश पाने से वंचित रह गया। कक्षा 5 का प्रवेश दर 100.0 प्रतिशत था। 10 वय वर्ग के कुल 805 बच्चों में से सभी बच्चे अपनी नियत कक्षा 5 में प्रवेश पाने में सफल रहे।

तालिका संख्या-01

कक्षा प्रवेश करने वाले कुल बच्चों का विवरण

कक्षा	कुल बच्चे	कक्षा में प्रवेश पाने वाले बच्चे	प्रवेश से वंचित बच्चे	प्रवेश दर %
1	1074	1065	09	99.16
2	1010	1001	09	99.10
3	963	963	00	100.0
4	892	891	01	99.88
5	805	505	00	100.0

तालिका संख्या-2 में जनपद पिथौरागढ़ के विकासखंड मूनाकोट के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 1 से 5 तक अध्ययनरत् कुल बालकों, कक्षावार कक्षा प्रवेश लेने वाले बालकों, कक्षावार प्रवेश से वंचित बालकों तथा कुल प्रवेश दर का विवरण दर्शाया गया है। तालिका में प्रस्तुत प्रदत्तों का अवलोकन करने पर स्पष्ट होता है कि कक्षा 1 में बालकों का प्रवेश दर 99.42 प्रतिशत था। 6 वय वर्ग के कुल 526 बालकों में से 523 बालक कक्षा 1 में नामांकित थे तथा 03 बालक अपनी नियत कक्षा 1 में प्रवेश पाने से वंचित रह गये। कक्षा 2 का प्रवेश दर 98.99 प्रतिशत था। 7 वय वर्ग के कुल 496 बालकों में से 05 बालक अपनी नियत कक्षा 2 में प्रवेश पाने से वंचित रह गये। कक्षा 3 का प्रवेश दर 100.0 प्रतिशत था। 8 वय वर्ग के कुल 479 बालकों में से सभी बालक अपनी नियत कक्षा 3 में प्रवेश पाने में सफल रहे। कक्षा 4 का प्रवेश दर 100.0 प्रतिशत था। 9 वय वर्ग के कुल 438 बालकों में से सभी बालक अपनी नियत कक्षा 4 में प्रवेश पाने में सफल रहे। कक्षा 5 का प्रवेश दर 100.0 प्रतिशत था। 10 वय वर्ग के कुल 398 बालकों में से सभी 398 बालक कक्षा 5 में नामांकित थे।

तालिका संख्या—02
कक्षा प्रवेश करने वाले कुल बालकों का विवरण

कक्षा	कुल बालक	कक्षा में प्रवेश पाने वाले बालक	प्रवेश से वंचित बालक	प्रवेश दर %
1	526	523	03	99.42
2	496	491	05	98.99
3	479	479	00	100.0
4	438	438	00	100.0
5	398	398	00	100.0

तालिका संख्या—03 में जनपद पिथौरागढ़ के विकासखण्ड मूनाकोट के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 1 से 5 तक अध्ययनरत् कुल बालिकाएं, कक्षावार कक्षा प्रवेश लेने वाले बालिकाएं, कक्षावार प्रवेश से वंचित बालिकाएं तथा कुल प्रवेश दर का विवरण दर्शाया गया है। तालिका में प्रस्तुत प्रदत्तों का अवलोकन करने पर स्पष्ट होता है कि कक्षा 1 में बालिकाओं का प्रवेश दर 98.90 प्रतिशत था। 6 वय वर्ग के कुल 548 बालिकाओं में से 542 बालिकाएं कक्षा 1 में नामांकित थे तथा 06 बालिकाएं अपनी नियत कक्षा 1 में प्रवेश पाने से वंचित रह गये। कक्षा 2 का प्रवेश दर 99.22 प्रतिशत था। 7 वय वर्ग के कुल 514 बालिकाओं में से 04 बालिकाएं अपनी नियत कक्षा 2 में प्रवेश पाने से वंचित रह गये। कक्षा 3 का प्रवेश दर 100.0 प्रतिशत था। 8 वय वर्ग के कुल 484 बालिकाओं में से सभी 484 बालिकाएं अपनी नियत कक्षा 3 में प्रवेश पाने में सफल रहे। कक्षा 4 का प्रवेश दर 99.77 प्रतिशत था। 9 वय वर्ग के कुल 454 बालिकाओं में से 01 बालिका अपनी नियत कक्षा 4 में प्रवेश पाने से वंचित रह गयी। कक्षा 5 का प्रवेश दर 100.0 प्रतिशत था। 10 वय वर्ग के कुल 407 बालिकाओं में से सभी 407 बालिकाएं अपनी नियत कक्षा 5 में प्रवेश पाने में सफल रहे।

तालिका संख्या—03
कक्षा प्रवेश करने वाले कुल बालिकाओं का विवरण

कक्षा	कुल बालिकाएं	कक्षा में प्रवेश पाने वाले बालिकाएं	प्रवेश से वंचित बालिकाएं	प्रवेश दर %
1	548	542	06	98.90
2	514	510	04	99.22
3	484	484	00	100.0
4	454	453	01	99.77
5	407	407	00	100.0

तालिका संख्या—4 में प्रदर्शित प्रदत्तों का अवलोकन करने पर स्पष्ट होता है कि विकासखण्ड मूनाकोट के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् बच्चों में कक्षा 1 में प्रवेश दर में लिंग के आधार पर कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया गया। यहाँ पर t मान 0.93 है। मूनाकोट में रहने वाले 6 वय वर्ग के बालक—बालिकाओं में प्रवेश दर की समस्या से 0.85 प्रतिशत बालक तथा बालिकायें प्रभावित थे। यद्यपि दोनों न्यादर्श समूहों के मध्य प्रतिशत प्राप्तांकों में अन्तर था तथापि यह अन्तर

सांख्यिकीय दृष्टिकोण से सार्थक नहीं पाया गया। इससे यह स्पष्ट होता है कि विकासखण्ड मूनाकोट में रहने वाले बालक-बालिकाएं लगभग समान रूप से इस समस्या से प्रभावित थे।

तालिका संख्या-04 प्रवेश दर—कक्षा 01

समूह	न्यादर्श	प्राप्तांकों का %	P	Q	SE %	t	सार्थकता स्तर
बालक	526	99.42	99.15	0.85	0.56	0.93	सार्थक नहीं
बालिका	548	98.90					

तालिका संख्या-5 में प्रदर्शित प्रदत्तों का अवलोकन करने पर स्पष्ट होता है कि विकासखण्ड मूनाकोट के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् बच्चों में कक्षा 2 में प्रवेश दर में लिंग के आधार पर कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया गया। यहाँ पर t मान 0.39 है। मूनाकोट में रहने वाले 7 वय वर्ग के बालक-बालिकाओं में प्रवेश दर की समस्या से 0.89 प्रतिशत बालक तथा बालिकायें प्रभावित थे। यद्यपि दोनों न्यादर्श समूहों के मध्य प्रतिशत प्राप्तांकों में अन्तर था तथापि यह अन्तर सांख्यिकीय दृष्टिकोण से सार्थक नहीं पाया गया। इससे यह स्पष्ट होता है कि विकासखण्ड मूनाकोट में रहने वाले बालक-बालिकाएं लगभग समान रूप से इस समस्या से प्रभावित थे।

तालिका संख्या-05 प्रवेश दर—कक्षा 02

समूह	न्यादर्श	प्राप्तांकों का %	P	Q	SE %	t	सार्थकता स्तर
बालक	496	98.99	99.11	0.89	0.59	0.39	सार्थक नहीं
बालिका	514	99.22					

तालिका संख्या-6 में प्रदर्शित प्रदत्तों का अवलोकन करने पर स्पष्ट होता है कि विकासखण्ड मूनाकोट के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् बच्चों में कक्षा 3 में लिंग के आधार पर कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया गया। यहाँ पर t मान 0 है। मूनाकोट में रहने वाले बालक-बालिकाओं में प्रवेश दर 100 प्रतिशत थी। अतः बालक-बालिकायें इस समस्या से प्रभावित नहीं थे। दोनों न्यादर्श समूहों के मध्य प्रतिशत प्राप्तांकों में भी कोई अन्तर नहीं था। इससे यह स्पष्ट होता है कि विकासखण्ड मूनाकोट में रहने वाले बालक-बालिकाओं के सम्मुख प्रवेश सम्बन्धी कोई समस्या नहीं थी।

तालिका संख्या-06 प्रवेश दर—कक्षा 03

समूह	न्यादर्श	प्राप्तांकों का %	P	Q	SE %	t	सार्थकता स्तर
बालक	479	100.0	100	0	0	0	सार्थक नहीं
बालिका	484	100.0					

तालिका संख्या-7 में प्रदर्शित प्रदत्तों का अवलोकन करने पर स्पष्ट होता है कि विकासखण्ड मूनाकोट के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् बच्चों में कक्षा 4 में प्रवेश दर में लिंग के आधार पर कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया गया। यहाँ पर t मान 1.0 है। मूनाकोट में रहने वाले 9 वय वर्ग के बालक-बालिकाओं में प्रवेश दर की समस्या से 0.12 प्रतिशत बालक तथा बालिकायें प्रभावित थे। यद्यपि दोनों न्यादर्श समूहों के मध्य प्रतिशत प्राप्तांकों में अन्तर था तथापि यह अन्तर सांख्यिकीय दृष्टिकोण से सार्थक नहीं पाया गया। इससे यह स्पष्ट होता है कि विकासखण्ड मूनाकोट में रहने वाले बालक-बालिकाएं लगभग समान रूप से इस समस्या से प्रभावित थे।

तालिका संख्या—07

प्रवेश दर— कक्षा 04

समूह	न्यादर्श	प्राप्तांकों का %	P	Q	SE %	t	सार्थकता स्तर
बालक	438	100.0	99.88	0.12	0.23	1.0	सार्थक नहीं
बालिका	454	99.77					

तालिका संख्या—08 में प्रदर्शित प्रदत्तों का अवलोकन करने पर स्पष्ट होता है कि विकासखण्ड मूनाकोट के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों में कक्षा 5 में प्रवेश दर में लिंग के आधार पर कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया गया। यहाँ पर t मान 0 है। मूनाकोट में रहने वाले बालक-बालिकाओं में प्रवेश दर 100 प्रतिशत थी। अतः बालक-बालिकायें इस समस्या से प्रभावित नहीं थे। दोनों न्यादर्श समूहों के मध्य प्रतिशत प्राप्तांकों में भी कोई अन्तर नहीं था। इससे यह स्पष्ट होता है कि विकासखण्ड मूनाकोट में रहने वाले बालक-बालिकाओं के सम्मुख प्रवेश सम्बन्धी कोई समस्या नहीं थी।

तालिका संख्या—08

प्रवेश दर— कक्षा 05

समूह	न्यादर्श	प्राप्तांकों का %	P	Q	SE %	t	सार्थकता स्तर
बालक	398	100.0	100.0	0	0	0	सार्थक नहीं
बालिका	407	100.0					

निष्कर्ष

जनपद पिथौरागढ़ के विकासखण्ड मूनाकोट के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बालक-बालिकाओं में प्रवेश दर का लिंग के आधार पर अध्ययन करने पर निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए।

- (i) कक्षा 1 में बालकों का प्रवेश दर 99.42 प्रतिशत था तथा बालिकाओं का प्रवेश दर 98.90 प्रतिशत था।
- (ii) कक्षा 2 में बालकों का प्रवेश दर 98.99 प्रतिशत था तथा बालिकाओं का प्रवेश दर 99.22 प्रतिशत था।
- (iii) कक्षा 3 में बालकों का प्रवेश दर 100.0 प्रतिशत था तथा बालिकाओं का प्रवेश दर 100.0 प्रतिशत था।
- (iv) कक्षा 4 में बालकों का प्रवेश दर 100.0 प्रतिशत था तथा बालिकाओं का प्रवेश दर 99.77 प्रतिशत था।
- (v) कक्षा 5 में बालकों का प्रवेश दर 100.0 प्रतिशत था तथा बालिकाओं का प्रवेश दर 100.0 प्रतिशत था।

अतः विकासखण्ड मूनाकोट में कक्षा 1 से 5 तक अध्ययनरत बालक-बालिकाओं में प्रवेश दर में लिंग के आधार पर सांख्यिकीय दृष्टिकोण से कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया गया। अतः परिकल्पनाएं सही सिद्ध होती हैं।

अध्ययन के निहितार्थ एवं सुझाव

प्रस्तुत अध्ययन से प्राप्त परिणामों के आधार पर प्रवेश दर के अध्ययन के उपरान्त निम्नलिखित सुझाव समीचीन प्रतीत होते हैं। ये निष्कर्ष एवं सुझाव शिक्षा के योजनाकारों, प्रशासकों तथा शिक्षकों के लिए प्राथमिक शिक्षा के प्रसार तथा गुणवत्तापरक शिक्षा के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं।

1. प्राथमिक शिक्षा में कक्षा प्रवेश में आने वाली समस्याओं के कारणों को चिन्हित कर उनके समाधान के लिए लिए प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए जिससे विद्यार्थियों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए आवश्यक वातावरण सृजित किया जा सकता है जिससे बच्चे उच्च शैक्षिक उपलब्ध स्तर को प्राप्त कर सकते हैं।

2 बुनियादी शिक्षा में एक कक्षा में एक से अधिक वर्ष व्यतीत करने के कारणों को पता लगाकर उसके समाधान हेतु ठोस नीति तैयार किया जा सकता है।

3 प्राथमिक शिक्षा में कक्षा प्रवेश की समस्या के समाधान के लिए शिक्षण नवाचारों का प्रयोग कर शिक्षण को व्यावहारिक, आसान व रुचिकर बनाने का प्रयास अपेक्षित है।

4 जो विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो रहे हैं अथवा निम्न शैक्षिक उपलब्ध के कारण अवसादग्रस्त है उनके मार्गदर्शन हेतु परामर्शदाता की व्यवस्था विद्यालयों में की जानी चाहिए।

5 प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय एवं अवरोधन जैसी समस्याओं के समाधान हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने चाहिए। इस हेतु माता-पिता तथा अभिभावकों को प्रेरित करने के लिए निरन्तर विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जा सकता है।

6. प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षण के साथ-साथ पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों में बच्चों की समुचित भागीदारी सुनिश्चित कराकर तथा शिक्षण में खेल विधि का प्रयोग किया जाए, जिससे बच्चों में शिक्षण के प्रति रुचि तथा आत्मविश्वास में वृद्धि किया जा सके।

7. प्राथमिक शिक्षा हेतु दूरस्थ क्षेत्रों में समस्त शैक्षिक सुविधाएं विकसित कर नामांकन और ठहराव में वृद्धि किया जा सकता है।

8. प्राथमिक विद्यालयों में बार-बार अनुत्तीर्ण होने, धनाभाव तथा अन्य कारणों से विद्यालय पलायन के कारणों को पता लगाकर उसके समाधान हेतु ठोस नीति तैयार किया जा सकता है।

स्पष्ट है कि प्राथमिक शिक्षा में निर्धारित आयु में निर्धारित कक्षा में प्रवेश न होने से अपव्यय एवं अवरोधन जैसी समस्यायें व्याप्त होती हैं। जब तक प्राथमिक शिक्षा में कक्षा प्रवेश में आने वाली समस्याओं के कारणों का पता लगाकर उन्हें दूर करने का सार्थक प्रयास नहीं किया जायेगा तब तक राष्ट्र तथा समाज के भविष्य का ठोस आधार विकसित नहीं किया जा सकता है। ऐसा प्रयास किया जाना समीचीन होगा क्योंकि राष्ट्र का भविष्य इन्हीं बालक व बालिकाओं के कन्धों पर है। जब तक सभी बालक-बालिकाओं को विद्यालयों में नामांकित कराकर उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर उनका सर्वांगीण विकास नहीं किया जाता तब तक राष्ट्र के उज्जवल भविष्य की कल्पना करना व्यर्थ ही होगा।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची—

गैरेट, एच. ई (1981) मनोविज्ञान एवं शिक्षा में सांख्यिकी। दशम संस्करण। बी एफ एण्ड सन्स बॉम्बे।

गुप्ता, दलजीत (1983) 'ए क्रिटिकल स्टडी ऑफ नॉनफारमल एजुकेशन प्रोग्राम' (ऐज ग्रुप 9-14) रन बाई डिफेन्ट एजेन्सीज इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश पी0एच0डी0 एजुकेशन, भोपाल विश्वविद्यालय।

नयाल, जी. एस (1985) विद्यालय से पलायन के कारण भारतीय आधुनिक शिक्षा। वर्ष द्वितीय अंक चतुर्थ। एन. सी. ई. आर. टी. नई दिल्ली।

तोमर, लज्जाराम (1991) भारतीय शिक्षा के मूल तत्व, सुरुचि प्रकाशन केशवकुंज झाण्डेवाला, नई दिल्ली, संस्करण।

मिश्र, जयनारायण (1998) अनुदेशकों की दृष्टि में अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम की समस्यायें, भारतीय आधुनिक शिक्षा, जुलाय, 15–23।

रैकवार, रामगोपाल (2000) प्राथमिक शिक्षा में गुणवत्ता स्तर की समस्या, प्राइमरी शिक्षक, अप्रैल, 12–16।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (2002) सर्व शिक्षा प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए एक अभियान। नई दिल्ली : प्रारम्भिक शिक्षा एंव साक्षरता विभाग।

उत्तरांचल दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम (2006) विद्यार्थी प्रवाह आरेखण एंवं विश्लेषण। उत्तरांचल सभी के लिए शिक्षा परिषद डी. पी. ई. पी. – 3 देहरादून

पाठक, पी. डी एंवं त्यागी, जी. एस. डी. (2008) भारतीय शिक्षा के आयोग कोठारी कमीशन सहित। आगरा पब्लिकेशन आगरा।

डॉ. डिगर सिंह फर्स्वाण
विभागाध्यक्ष (बी.एड)

देवभूमि इन्स्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन लालपुर, रुद्रपुर, उधम सिंह नगर
उत्तराखण्ड—263148

Dr. Digar Singh Farswan
Head of Department (B.Ed)
Devbhumi Institute of Professional Education
Lalpur Rudrapur Udhampur uttarakhand
Pin – 263148

